

केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक की 13 अगस्त 2021 को मुंबई में आयोजित पांच सौ नब्बेवीं (590वीं) बैठक का कार्यवृत्त

(वीडियो कॉन्फ्रेंस के माघ्यम से)

उपस्थित

गवर्नर

शक्तिकान्त दास : अध्यक्ष

उप गवर्नर

एम.के. जैन एम.डी. पात्र एम. राजेश्वर राव टी. रबी शंकर

निदेशक

देबाशीष पण्डा अजय सेठ सतीश के. मराठे एस. गुरुमूर्ति रेवती अय्यर सचिन चतुर्वेदी

उपस्थित आमंत्रित – कार्यपालक निदेशक

अनिल के. शर्मा	एस.सी. मुर्मू
ओ.पी. मल्ल	एम.के. सागर
सौरभ सिन्हा	जयन्त कुमार दाश
आर. सुब्रमणियन	रोहित जैन
राधा श्याम रथ	जोस जे. कट्टूर

सुधा बालकृष्णन

उपस्थित

अविरल जैन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव



केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक की 13 अगस्त 2021 को मुंबई में आयोजित पांच सौ नब्बेवीं (590वीं) बैठक का कार्यवृत्त (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)

प्रारंभ में, गवर्नर ने बैठक में सहभागियों का स्वागत किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। गवर्नर ने बोर्ड को यह भी सूचित किया कि श्री एम. के. जैन 22 जून 2021 के प्रभाव से उप गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त होने के बाद केंद्रीय बोर्ड की अपनी पहली बैठक में भाग ले रहे हैं।

- 2. तदपरांत, बैठक की कार्यसूची पर चर्चा शुरू की गई।
 - (i) बैठक की कार्यसूची अनुलग्नक -l में है।
 - (ii) बैठक के कार्रवाई बिंदु अनुलग्नक -II में हैं।
- केंद्रीय बोर्ड की 21 मई 2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त
- 3.1 केंद्रीय बोर्ड की 21 मई 2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अभिलिखित किया गया।
- 3.2 अध्यक्ष ने कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए।
- 4. निदेशकों को अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करना
- 4.1 बोर्ड ने श्री एन. चंद्रसेकरन, केंद्रीय बोर्ड निदेशक से प्राप्त अनुपस्थित रहने की अनुमति संबंधी अनुरोध पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया।
- दिनांक 06 अगस्त 2021 को समाप्त सप्ताह से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक का साप्ताहिक कार्य विवरण
- 5.1 दिनांक 06 अगस्त 2021 को समाप्त सप्ताह से संबंधित बैंक का साप्ताहिक लेखा केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।
- 5.2 कुछ निदेशकों ने टिप्पणी की कि ऋण उठाव (क्रेडिट ऑफटेक) बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की उपलब्धता के अनुरूप नहीं है और बैंक उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को अभिनियोजित करने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रतिवर्ती रेपो का सहारा ले रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि बैंकों की ऋण देने की इच्छा नहीं है या अन्य कारण हैं। एक निदेशक ने सुझाव दिया कि दबावग्रस्त आस्तियों को वित्तपोषित करने की योजना ऋण उठाव में मदद कर सकती है। यह स्पष्ट किया गया कि प्रणाली में उपलब्ध अत्यधिक चलनिधि पिछले वर्ष विश्वव्यापी



महामारी के प्रकोप के मद्देनजर अपनायी गई बहुत-सी नीतियों, जिनकी उचित समय पर समीक्षा की जाएगी, का परिणाम है। इसी बीच, निश्चित अवधि के लिए घोषित किए गए उपायों में से कुछ की अवधि पहले से ही पूरी हो चुकी है। ऋण उठाव में शिथिलता का कारण ऋण की उपलब्धता की अपेक्षा उसकी मांग में कमी से ज्यादा जुड़ा है। इसके अतिरिक्त, कार्पोरेट क्षेत्र वित्त के वैकल्पिक माध्यमों का सहारा ले रहा है, कर्जों का भुगतान करके डिलीवरेजिंग कर रहा है और कार्पोरेट बॉण्डों, निजी प्लेसमेंट, इक्विटी बाजार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्यम से संसाधान जुटा रहा है। संकट के समयों में अधिक रूढि़वादी होना बैंकों के लिए असामान्य नहीं है। उपर्युक्त सभी कारक ऋण उठाव पर सामूहिक रूप से दबाव डालते हैं। तथापि, कृषि, आवास और खुदरा क्षेत्रों में ऋण वृद्धि यथोचित रूप से अच्छी है। वृद्धि जोर पकड़ रही है और वृद्धि संवेग से ऋण उठाव में और सुधार होने में मदद मिलेगी।

5.3 बोर्ड ने लेखा अनुमोदित किया।





- 8. केंद्रीय बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी) के निर्देशों का अनुपालन स्थानीय बोर्डों/केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की कार्य-पद्धति और इसकी बैठकों के लिए कार्यसूची की समीक्षा/मानकीकरण
- 8.1 बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी) के निर्देशों का अनुपालन स्थानीय बोर्डों/केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की कार्य-पद्धति और इसकी बैठकों के लिए कार्यसूची की समीक्षा/मानकीकरण संबंधी कार्यपालक निदेशक के 28 जुलाई 2021 के ज्ञापन पर विचार किया।
- 8.2 बोर्ड ने प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की और पाया कि केवल उन राज्यों में बैंक के कार्यालयों में बैठकों के आयोजन में कुछ कठिनाई है, जहां बैंक के पास कार्यालय नहीं है और
- 8.3 बोर्ड ने निम्निलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि 'केंद्रीय बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी) के निर्देशों का अनुपालन – स्थानीय बोर्डों/केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की कार्य-पद्धति और इसकी बैठकों के लिए कार्यसूची की समीक्षा/मानकीकरण' संबंधी कार्यपालक निदेशक के 28 जुलाई 2021 के ज्ञापन के पैराग्राफ 3.1 में निहित प्रस्तावों को इस सुगमता के अधीन अनुमोदित किया जाए और इसे इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है कि उत्तर-पूर्व के उन राज्यों में, जहां बैंक के पास कोई कार्यालय नहीं है, बैंठकें लॉजिस्टिक रूप से,

यथासंभव, आरबीआई कार्यालयों के बाहर आयोजित की जा सकती हैं।

- केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंध उप-समिति (एआरएमएस) के चार्टर की समीक्षा
- 9.1 बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंध उप-समिति (एआरएमएस) के चार्टर की समीक्षा संबंधी उप गवर्नर के 14 जुलाई 2021 के ज्ञापन पर विचार किया।



9.2 बोर्ड ने निम्निलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंध उप-समिति (एआरएमएस) के संशोधित चार्टर से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाए और इसे इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

10. केंद्रीय बोर्ड समिति की बैठकों के कार्य विवरण प्रस्तुत करना

- 10.1 निदेशकों के बीच पहले से परिचालित, केंद्रीय बोर्ड समिति की 12 मई 2021 और 28 जुलाई 2021 के बीच आयोजित बैठकों के कार्य विवरण केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किए गए और अभिलिखित किए गए।
- 11. साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (डब्ल्यूएफसीआर)
- 11.1 बोर्ड ने साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (डब्ल्यूएफसीआर) में सप्ताह के दौरान दर्शाए गए समष्टि आर्थिक गतिविधियों और मुद्रा बाजार की स्थिति की समीक्षा की और उनपर चर्चा की।
- 11.2 अनुवर्ती चर्चा के दौरान, इस बात पर जोर दिया गया कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए प्रयास जारी रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में विश्वव्यापी महामारी संबंधी समायोजन का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- 11.3 रिपोर्ट अभिलिखित किया गया।
- 12. दिनांक 01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान विनियमन विभाग (डीओआर) की गतिविधियों पर रिपोर्ट
- 12.1 बोर्ड ने 01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान विनियमन विभाग (डीओआर) की गतिविधियों की रिपोर्ट संबंधी कार्यपालक निदेशक के 23 जुलाई 2021 के ज्ञापन पर विचार किया।
- 12.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि जैसा कि यहाँ ऊपर में प्रस्तुत किया गया है, 01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान विनियमन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करने संबंधी



कार्यपालक निदेशक के 23 जुलाई 2021 के ज्ञापन को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

- 13. दिनांक 01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट
- 13.1 बोर्ड ने 01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट संबंधी कार्यपालक निदेशक के 22 जुलाई 2021 के ज्ञापन पर विचार किया।
- 13.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट संबंधी कार्यपालक निदेशक के 22 जुलाई 2021 के ज्ञापन को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

- 14. जुलाई 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की छियालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट
- 14.1 बोर्ड ने जुलाई 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की छियालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट संबंधी मुख्य सतर्कता अधिकारी के 16 जुलाई 2021 के ज्ञापन पर विचार किया।
- 14.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि जुलाई 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी की वार्षिक रिपोर्ट को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

- 15. आरबीआई की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 174वीं बैठक का कार्यवृत्त
- 15.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 174वीं बैठक का कार्यवृत्त केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।



15.2 बोर्ड ने इसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि भारतीय रिज़र्व बैंक की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 174वीं बैठक का कार्यवृत्त अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

- 16. स्थानीय बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) की 14 दिसंबर 2020 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण
- 16.1 स्थानीय बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) की 14 दिसंबर 2020 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।
- 16.2 बोर्ड ने इसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि स्थानीय बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) की 14 दिसंबर 2020 को आयोजित बैठक के कार्य विवरण को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

- 17. केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (दक्षिणी क्षेत्र) की 21 जून 2021 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण
- 17.1 केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (दक्षिणी क्षेत्र) की 21 जून 2021 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।
- 17.2 बोर्ड ने इसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (दक्षिणी क्षेत्र) की 21 जून 2021 को आयोजित बैठक के कार्य विवरण को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

- 18. स्थानीय बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) की 28 जून 2021 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण
- 18.1 स्थानीय बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) की 28 जून 2021 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।



18.2 बोर्ड ने इसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि स्थानीय बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) की 28 जून 2021 को आयोजित बैठक के कार्य विवरण को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

- 19. केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (पश्चिमी क्षेत्र) की 29 जून 2021 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण
- 19.1 केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (पश्चिमी क्षेत्र) की 29 जून 2021 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।
- 19.2 बोर्ड ने इसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (पश्चिमी क्षेत्र) की 29 जून 2021 को आयोजित बैठक के कार्य विवरण को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

20. केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक की तारीख और स्थान – 29 अक्तूबर 2021 को बेंगलुरु में

संकल्प पारित किया गया

कि केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक 29 अक्तूबर 2021 को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी।

21. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

कुछ नहीं

सूचना मद

- (i) केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन
- (क) सूचना मद को अभिलिखित किया गया।
- (ii) व्यय नियमावली (ईआर), 2018 संशोधन
- (क) सूचना मद को अभिलिखित किया गया।



- (iii) बेंगलुरु, कर्नाटक में रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र की स्थापना
- (क) सूचना मद को अभिलिखित किया गया।

दिनांक: 29 अक्तूबर 2021

अध्यक्ष



अनुलग्नक ।

केंद्रीय बोर्ड की 590वीं बैठक : 13 अगस्त 2021 को

मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

कार्यसूची

क्र. सं.	मद	विभाग
1.	केंद्रीय बोर्ड की 21 मई 2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करना	सचिव
2.	निदेशकों को अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करना	सचिव
3.	06 अगस्त 2021 को समाप्त सप्ताह से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक का साप्ताहिक कार्य विवरण	डीजीबीए
6.	केंद्रीय बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी) के निर्देशों का अनुपालन – स्थानीय बोर्डों/केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की कार्य- पद्धति और इसकी बैठकों के लिए कार्यसूची की समीक्षा/मानकीकरण	सचिव
7.	केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंध उप-समिति (एआरएमएस) के चार्टर की समीक्षा	निरीक्षण
8.	केंद्रीय बोर्ड समिति की बैठकों के कार्य विवरण प्रस्तुत करना	सचिव
9.	साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (डब्ल्यूएफसीआर)	डीईपीआर
10.	01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान विनियमन विभाग (डीओआर) की गतिविधियों पर रिपोर्ट	डीओआर
11.	01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट	आरबीआईएसबी



क्र. सं.	मद .	विभाग
12.	जुलाई 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की छियालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट	सीवीसी
13.	भारतीय रिज़र्व बैंक की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 174वीं बैठक का कार्यवृत्त	राजभाषा
14.	स्थानीय बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) की 14 दिसंबर 2020 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण	सचिव
15.	केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (दक्षिणी क्षेत्र) की 21 जून 2021 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण	सचिव
16.	स्थानीय बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) की 28 जून 2021 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण	सचिव
17.	केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (पश्चिमी क्षेत्र) की 29 जून 2021 को आयोजित बैठक का कार्य विवरण	सचिव
18.	केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक की तारीख और स्थान – 29 अक्तूबर 2021 को बेंगलुरु में	सचिव
19.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय	सचिव
सूचना	मद	
i.	केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन	सचिव
ii.	व्यय नियमावली (ईआर), 2018 – संशोधन	सीएसबीडी
iii.	बेंगलुरु, कर्नाटक में रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र की स्थापना	डीपीएसएस



अनुलग्नक ॥

केंद्रीय बोर्ड की 590वीं बैठक : 13 अगस्त 2021 को मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

कार्यर्बिंदु

कार्यसूची मद सं. 3 : दिनांक 06 अगस्त 2021 को समाप्त सप्ताह से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक का साप्ताहिक कार्य विवरण

 केंद्रीय बोर्ड की 29 अक्तूबर 2021 को निर्धारित आगामी बैठक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण उठाव पर एक प्रस्तुति की जाएगी।

[कार्रवाई: एमपीडी]

 सरकारी नीतियों और आर्थिक विकास के समूहों के बीच संबद्धता सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन किया जाएगा।

[कार्रवाई: डीईपीआर]

3. क्षेत्रीय कार्यालय नोट करें कि उन्हें अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा जमा संग्रहण में विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई करनी है। क्षेत्रीय निदेशक राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई नहीं करने के मामलों को संबंधित राज्य के मुख्य सचिव के साथ उठाएँ। यदि आवश्यक होगा तो केंद्रीय कार्यालय मामले को भारत सरकार के साथ उठाएगा।

[कार्रवाई: डीओएस (एनबीएफसी)]



Minutes of the Five Hundred and Ninetieth (590th) Meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India held on August 13, 2021 at Mumbai (through Video Conference)

PRESENT

Governor

Shaktikanta Das: Chairman

Deputy Governors

M.K. Jain M. Rajeshwar Rao

M.D. Patra T. Rabi Sankar

Directors

Debasish Panda Satish K. Marathe **Revathy** lyer Ajay Seth S. Gurumurthy Sachin Chaturvedi

Present by Invitation - Executive Directors

S.C. Murmu Anil K. Sharma M.K. Saggar O.P. Mall Saurav Sinha Rohit Jain R. Subramanian Radha Shyam Ratho Sudha Balakrishnan

Jayant Kumar Dash Jose J. Kattoor

In Attendance

Aviral Jain, CGM-in-Charge & Secretary



Minutes of the Five Hundred and Ninetieth (590th) Meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India held on August 13, 2021 at Mumbai (via Video Conference)

At the outset, Governor welcomed the participants to the meeting and extended greetings of the Independence Day. Governor also apprised the Board that Shri M.K. Jain was attending his first meeting of the Central Board after his reappointment as Deputy Governor with effect from June 22, 2021.

2. The Agenda for the meeting was taken up thereafter.

(i) The agenda of the meeting is at Annex-I.

(ii) Action points that emerged from the meeting are at Annex-II.

- 3. Minutes of the meeting of the Central Board held on May 21, 2021
- 3.1 The minutes of the meeting of the Central Board held on May 21, 2021 were approved by the Central Board and recorded.
- 3.2 The Chairman signed the minutes.
- 4. Grant of leave of absence to Directors
- 4.1 The Board considered the request for leave of absence from Shri N. Chandrasekaran, Central Board Director and granted the same.
- 5. Weekly Statement of Affairs of Reserve Bank of India for the week ended August 06, 2021
- 5.1 The weekly accounts of the Bank for the week ended August 06, 2021 were submitted to the Central Board.
- 5.2 Some Directors observed that the credit offtake was not commensurate with the availability of liquidity in the banking system and the banks were taking recourse to the Reserve Bank's reverse repo to deploy excess funds available with them. It was not clear whether it was reluctance on part of the banks to lend or other factors were at play. One Director suggested that a scheme for financing stressed assets could help credit offtake. It was explained that the high liquidity available in the system was



an outcome of a number of policies pursued in the wake of the outbreak of the pandemic last year that would be reviewed at an appropriate time. Meanwhile, some of the measures that were announced for a definite period have already run their course. The reason for slackness in credit offtake had more to do with lack of demand for credit than availability thereof. Further, corporate sector was taking recourse to alternative channels of finance and deleveraging by paying debts and raising resources through corporate bonds, private placements, equity market and foreign direct investment (FDI). It is not uncommon for banks to become more conservative during times of crises. All the above factors collectively weighed on credit offtake. Credit growth in the agriculture, housing and retail sectors was, however, reasonably good. Growth was picking up and the growth momentum will help credit offtake to improve further.

5.3 The Board approved the accounts.







- 8. Compliance with the directions of the Central Board and the Committee of the Central Board (CCB) – Functioning of the Local Boards/Standing Committee of Central Board and review/standardisation of the agenda for its meetings
- 8.1 The Board considered the Executive Director's Memorandum dated July 28, 2021 on Compliance with the directions of the Central Board and the Committee of the Central Board (CCB) – Functioning of the Local Boards/Standing Committee of Central Board and review/standardisation of the agenda for its meetings.
- 8.2 The Board discussed the proposals at length and found that there was some difficulty in holding the meetings only at the offices of the Bank in the states where the Bank did not have offices and
- 8.3 The Board passed the following resolution:



that the proposals contained in paragraph 3.1 of the Executive Director's memorandum dated July 28, 2021 on 'Compliance with the directions of the Central Board and the Committee of the Central Board (CCB) – Functioning of the Local Boards/Standing Committee of the Central Board and review/standardisation of the agenda for its meetings', be and is, hereby approved subject to the flexibility that in those states of the North-East where the Bank did not have any offices, meetings could be held outside of the RBI offices, as feasible, logistically.

9. Review of the Charter of the Audit and Risk Management Sub-Committee (ARMS) of the Central Board

- 9.1 The Board considered the Deputy Governor's Memorandum dated July 14, 2021 on Review of the Charter of the Audit and Risk Management Sub-Committee (ARMS) of the Central Board.
- 9.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the proposal relating to the revised Charter of the Audit and Risk Management Sub-Committee (ARMS) of the Central Board be, and is hereby approved.

10. Submission of Proceedings of the meetings of the Committee of the Central Board

10.1 Proceedings of the meetings of the Committee of the Central Board held between May 12, 2021 and July 28, 2021, already circulated among the Directors, were submitted to the Central Board and recorded.

11. Weekly Financial and Commercial Report (WFCR)

11.1 The Board reviewed and discussed the macroeconomic developments and the state of the money market during the week as reflected in the Weekly Financial and Commercial Report (WFCR).



- 11.2 During the discussion that followed, it was emphasized that efforts need to be continued to internationalize the Rupee. Further, India should be prepared to take advantage of the pandemic related adjustments to global supply chains.
- 11.3 The Report was recorded.
- 12. Report on activities of Department of Regulation (DoR) during the period July 01, 2020 to June 30, 2021
- 12.1 The Board considered the Executive Director's Memorandum dated July23, 2021 on Report on activities of Department of Regulation (DoR)during the period July 01, 2020 to June 30, 2021.
- 12.2 The Board passed the following resolution:

that the Executive Director's Memorandum dated July 23, 2021 reviewing the activities of the Department of Regulation during the period July 01, 2020 to June 30, 2021, as furnished here in above, be and is hereby recorded.

- 13. 53rd Annual Report of the Reserve Bank of India Services Board for the period July 1, 2020 to June 30, 2021
- 13.1 The Board considered the Executive Director's Memorandum dated July
 22, 2021 on 53rd Annual Report of the Reserve Bank of India Services
 Board for the period July 01, 2020 to June 30, 2021.
- 13.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the Executive Director's Memorandum dated July 22, 2021 regarding the 53rd Annual Report of the Reserve Bank of India Services Board for the year 2020-2021, be and is hereby recorded.



- 14. Forty Sixth Annual Report of the Chief Vigilance Officer of the Reserve Bank of India for the period July 2020 to June 2021
- 14.1 The Board considered the Chief Vigilance Officer's Memorandum dated July 16, 2021 on Forty Sixth Annual Report of the Chief Vigilance Officer of the Reserve Bank of India for the period July 2020 to June 2021.
- 14.2 The Board passed the following resolution:

that the Annual Report of the Chief Vigilance Officer for the period July 2020 to June 2021 be, and is hereby, taken on record.

- 15. Minutes of 174th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee of RBI
- 15.1 The minutes of 174th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee of Reserve Bank of India were submitted to the Central Board.
- 15.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

Resolved

that the minutes of 174th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee of Reserve Bank of India be, and is hereby recorded.

16. Proceedings of the meeting of the Local Board (Eastern Area) held on December 14, 2020

- 16.1 Proceedings of the meeting of the Local Board (Eastern Area) held on December 14, 2020 were submitted to the Central Board.
- 16.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

Resolved

that the proceedings of the meeting of the Local Board (Eastern Area) held on December 14, 2020 be, and are hereby recorded.



- 17. Proceedings of the meeting of the Standing Committee of Central Board (Southern Area) held on June 21, 2021
- 17.1 Proceedings of the meeting of the Standing Committee of Central Board (Southern Area) held on June 21, 2021 were submitted to the Central Board.
- 17.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

that the proceedings of the meeting of the Standing Committee of Central Board (Southern Area) held on June 21, 2021 be, and are hereby recorded.

18. Proceedings of the Meeting of the Local Board (Northern Area) held on June 28, 2021

- 18.1 Proceedings of the Meeting of the Local Board (Northern Area) held on June 28, 2021 were submitted to the Central Board.
- 18.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

Resolved

that the proceedings of the Meeting of the Local Board (Northern Area) held on June 28, 2021 be, and are hereby recorded.

- 19. Proceedings of the Meeting of the Standing Committee of Central Board (Western Area) held on June 29, 2021
- 19.1 Proceedings of the Meeting of the Standing Committee of Central Board (Western Area) held on June 29, 2021 were submitted to the Central Board.
- 19.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

Resolved

that the proceedings of the Meeting of the Standing Committee of Central Board (Western Area) held on June 29, 2021 be, and are hereby recorded.



20. Date and place of next meeting of Central Board - October 29, 2021 at Bengaluru

Resolved

that the next Central Board Meeting will be held on October 29, 2021 at Bengaluru.

21. Any other business with the permission of the Chair

Nil

Information items

- (i) Compliance to the directions of the Central Board
- (a) The information item was Recorded.
- (ii) Expenditure Rules (ER), 2018 Amendments
- (a) The information item was Recorded.
- (iii) Setting up of Reserve Bank Innovation Hub at Bengaluru, Karnataka
- (a) The information item was Recorded.

Dated the October 29, 2021

Chairman



Annex I

590th Central Board Meeting: August 13, 2021 At Mumbai through Video Conference

Agenda

SI. No.	Items	Department
1.	Signing of Minutes of the meeting of the Central Board held on May 21, 2021	Secretary's
2.	Grant of leave of absence to Directors	Secretary's
3.	Weekly Statement of Affairs of Reserve Bank of India for the week ended August 06, 2021	DGBA
		·
6.	Compliance with the directions of the Central Board and the Committee of the Central Board (CCB) – Functioning of the Local Boards/Standing Committee of Central Board and review/standardisation of the agenda for its meetings	Secretary's
7.	Review of the Charter of the Audit and Risk Management Sub-Committee (ARMS) of the Central Board	Inspection
8.	Submission of Proceedings of the meetings of the Committee of the Central Board	Secretary's
9.	Weekly Financial and Commercial Report (WFCR)	DEPR
10.	Report on activities of Department of Regulation (DoR) during the period July 01, 2020 to June 30, 2021	DoR
11.	53 rd Annual Report of the Reserve Bank of India Services Board for the period July 1, 2020 to June 30, 2021	RBISB



		and share a state of the
12.	Forty Sixth Annual Report of the Chief Vigilance Officer of the Reserve Bank of India for the period July 2020 to June 2021	CVC
13.	Minutes of 174 th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee of Reserve Bank of India	Rajbhasha
14.	Proceedings of the meeting of the Local Board (Eastern Area) held on December 14, 2020	Secretary's
15.	Proceedings of the meeting of the Standing Committee of Central Board (Southern Area) held on June 21, 2021	Secretary's
16.	Proceedings of the Meeting of the Local Board (Northern Area) held on June 28, 2021	Secretary's
17.	Proceedings of the Meeting of the Standing Committee of Central Board (Western Area) held on June 29, 2021	Secretary's
18.	Date and place of next Central Board Meeting – October 29, 2021 at Bengaluru	Secretary's
19.	Any other business with the permission of the Chair	Secretary's
Inform	ation items	
i.	Compliance to the directions of the Central Board	Secretary's
ii.	Expenditure Rules (ER), 2018 – Amendments	CSBD
iii.	Setting up of Reserve Bank Innovation Hub at Bengaluru, Karnataka	DPSS

Annex II



590th Central Board Meeting: August 13, 2021 At Mumbai through Video Conference

Action Points

Agenda Item no. 3: Weekly Statement of Affairs of Reserve Bank of India for the week ended August 06, 2021

 A presentation shall be made in the next meeting of the Central Board scheduled on October 29, 2021 on the credit offtake of Scheduled Commercial Banks.

[Action: MPD]

2. Studies shall be carried out to ascertain linkages between the Government policies and clusters of economic development.

[Action: DEPR]

3. Regional Offices to note to closely follow up for action by the State Governments in cases of violation of the legal provisions in deposit mobilization by unauthorised entities. Regional Directors shall escalate cases of inaction by the State Governments to the Chief Secretary of the State concerned. If needed, Central Office shall take up the matter with the Government of India.

[Action: DoS (NBFCs)]